"उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलायें: बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय एंव लखनऊ विश्वविद्यालय का तुलनात्मक अध्ययन वर्ष 2010 से 2015 तक"

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के
राजनीति विज्ञान विभाग में पी–एच0डी0 उपाधि हेतु

प्रस्तुत शोध–सारांश

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

शोध निर्देशक :

प्रोफेसर सार्तिक बाघ

राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ

शोधार्थिनी :

सुचित्रा दिवाकर

नामांकन सं. 082/12
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
लखनऊ–226025
2017

शोध सारांश

"उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलायें: बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय एंव लखनऊ विश्वविद्यालय का तुलनात्मक अध्ययन वर्ष 2010 से 2015 तक"

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध को छः अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्राक्कथन के अन्तर्गत शोध का प्रयोजन एवं शोध विधि का उल्लेख किया गया है। शोध का विषय अनुसूचित जाति व जनजाति की सम्पूर्ण महिलाओं के कल्याण एवं उनकी वर्तमान समस्या के समाधान से जुड़ा हुआ है। शोधार्थिनी ने अपने शोध का विषय "**उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलायें: बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय एंव लखनऊ विश्वविद्यालय का तुलनात्मक अध्ययन**" को चुना है क्योंकि आज महिलायें विशेषकर दलित महिलायें भी राष्ट्र की मुख्य धारा का महत्त्वपूर्ण अंग है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनकी नगण्य भूमिका आज समाज की प्रमुख समस्या बनी हुई है। यह न केवल सामाजिक स्तर पर वरन् राष्ट्र व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व की सबसे ज्वलंत समस्या के रूप में दिखाई देती है इससे सम्पूर्ण समाज, राष्ट्र व विश्व की प्रगति को गहरा आघात पहुँचता है इसलिए इस समस्या के समाधान हेतु प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध में इनकी "**उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति व जनजाति की छात्राओं की स्थिति का अध्ययन**" कर उसके मूल कारणों का पता लगाकर उसके समाधान के लिए कारगर उपायों को खोजने का एक प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोधकार्य में प्राथमिक स्त्रोत (Primary Data) एवं द्वितीयक स्त्रोत (Secondary Data) का प्रयोग किया गया है और यह शोध–विधि वर्णात्मक, तुलनात्मक, साक्षात्कार एवं विश्लेषणात्मक शोध के अन्तर्गत आती है।

प्रथम अध्याय में प्रस्तावना के रूप में शोध कार्य के शीर्षकानुसार उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की स्थिति को प्राचीन काल से अब तक संक्षिप्त रूप में दर्शाया गया है। घोसा, अपाला, विश्रवर व उपनिषद् काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसे उच्च वर्गीय महिलाओं की स्थिति को ही श्रेष्ठ बताया गया है जबकि निम्न वर्गीय महिलाओं को तो हमेशा निम्न स्थिति ही पदान की गयी। इस अध्याय में

अनुसूचित जाति वर्ग की अवधारणा, अर्थ, प्रकृति या स्वरूप, को बताते हुए समाज में दलित वर्ग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उन्हें समाज में कितना सम्मान दिया जाता है व इनको किन–किन नामों से स्वीकार किया गया है। आदि के विषय में चर्चा की गयी है। भारतीय समाज के विकास क्रम में दलित शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों में ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में किया जाता है, जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। इनका निर्धारण **'योजना आयोग'** ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में गरीबी के आय–प्रमाण पत्रों के आधार पर करता है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत दलितों के लिए रखे गये प्रावधानों, इन प्रावधानों के आधार पर उनकों सामान्य वर्ग के समान समाज में मिलने वाली समान स्थिति व दलित महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किये गये विशेष प्रयासों तथा समाज व राष्ट्र के लिए उसकी महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की महिलाओं की स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। विभिन्न समाज सुधारकों जैसे– (**महात्मा गाँधी, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिवा फुले, डॉ.जी.एस.धूरिये आदि**) के विषय में भी विचार प्रस्तुत किये गये है।

द्वितीय अध्याय इस अध्याय में उच्च शिक्षा की प्राचीन समय से अब तक की प्रासंगिकता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत नागरिक के लिए देश एवं समाज की भाँति ही उच्च शिक्षा में भी समानता एवं अवसर की समानता की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अवसर की समानता के उद्देश्य व उसके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए बनाए गये नियमों की कमियों के विषय में चर्चा की गयी है। जिसमें देश में महिलाओं की सुरक्षा करने वाली पुलिस व राज्य सरकार की कमियों को भी उजागर किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु **ऐसे मामलों को ट्रायल फास्टट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए** जैसे विचारों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस अध्याय में सभी राज्यों के द्वारा सभी को प्राप्त शिक्षा के अधिकार का आदर करने और इस दिशा में प्रगति हेतु सभी को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्न प्रकार की व्यवस्था करने का भी अध्ययन किया गया है। आज उच्च शिक्षा में अवसर की समानता की बात की जाती है और कई केन्द्रीय विश्वविद्यालय ऐसे भी

हैं जो आरक्षण की व्यवस्था कर इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। यह व्यवस्था इसलिए भी की गयी क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अनेक ऐसे शब्द (**समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, गणतान्त्रिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता**) आदि जोड़े गये हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के जीवन के हर क्षेत्र में जीवन यापन करने के लिए अधिकार प्रदान करते हैं।

सुझाव के रूप पर यह कहा जा सकता है कि देश में एकता स्थापित करने के लिए जरूरी है कि सर्वप्रथम देश में समानता की स्थापना की जाऐ। देश में समानता की स्थापना तभी सम्भव है जब देश के प्रत्येक समुदाय को बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक अवसर प्रदान किये जायें और संविधान में उल्लेखित शब्दों का आदर किया जाये। इसके लिए आवश्यक है कि देश में ऐसे नियमों का निर्माण किया जाये जिससे कि प्रत्येक नागरिक इन नियमों के डर से संविधान में उल्लेखित शब्दों का आदर करे, और समाज में सभी समुदायों के साथ भाईचारे का व्यवहार करे। समाज के वंचित समुदायों की बालिकाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से मिलाने के उद्देश्य से ही शैक्षिक अवसरों के समकरण की बात की जाती है। राज्य को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि विधिक तंत्र ऐसे कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों व जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा।

तृतीय अध्याय में स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं की शैक्षिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की कई नीतियों जैसे 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1964 में कोठारी कमीशन, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1969 में गठित गजेन्द्र गडकर समिति एवं 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 का एक्शन प्लान आदि के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किये गये हैं।

सुझाव के रूप में यह कहा जा सकता है कि केन्द्र सरकार द्वारा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर भी विद्यालयों की भाँति महिलाओं की रक्षा करने के कठोर नियम बनाये जायें। जैसे– केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जल्द ही यह व्यवस्था सरकारी स्कूलों में प्रारम्भ होने जा रही है। कि बच्चे को अब यह सुनना

और रटना होगा... ***मैं प्रण करता हूँ कि मैं हमेशा महिलाओं का आदर और सम्मान करूँगा, महिलाओं के साथ आक्रामक बर्ताव से खुद को हमेशा दूर रखूँगा, मैं समाज और स्कूल में महिलाओं के सम्मान और मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखूँगा। मैं प्रण करता हूँ कि महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव का विरोध करूँगा, जब कभी भी महिलाओं को परेशानी में देखूँगा तो हमेशा उनकी तत्काल हरसम्भव मदद करूँगा।*** दिल्ली सरकार के निर्देशालय ने इस संकल्प को स्कूल डायरी में शामिल करने का निर्णय लिया है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा शोषण उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में वुमेन सेल (Women's Cell's) का होना वास्तव में उनके साथ होने वाले शोषण को रोकने में सहायता करेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार, अत्याचार व हिंसा करने वालों को कठोर दण्ड देने का प्रयास किया जायेगा।

उच्च शिक्षा में छात्राओं की संख्या बढ़ाने के लिए उसके पाठ्यक्रम में समयानुकूल बदलाव की महत्ता के विषय में भी चर्चा की गयी है। सरकार द्वारा श्रेष्ठ पाठ्यक्रम हेतु प्रतिभाशाली विद्वानों, चिन्तकों तथा विषय पर गहरी पकड़ रखने वालों से सम्बन्ध बनाये रखने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही यह बताने का भी प्रयत्न किया गया है कि प्रत्येक विषय का आजीविका पक्ष भी तलाशा जाये। विश्वविद्यालय में विचारों के पारम्परिक संवादों का बने रहना भी महत्त्वपूर्ण है। ज्ञान के नवीनतम क्षेत्रों के प्रति उत्सुकता ही किसी विश्वविद्यालय को प्रासंगिक बनाए रख सकती है। इस अध्याय में सभी राज्यों के द्वारा सभी को प्राप्त शिक्षा के अधिकार का आदर करने और इस दिशा में प्रगति हेतु सभी को **उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्न प्रकार की व्यवस्था करने का भी अध्ययन किया गया है।** राज्य सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा एवं राज्य अपनी क्षमताओं और साधनों के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रदान करवायेंगे, राज्य विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन देगा व अपूर्ण शिक्षा की दर में कमी लायेगें, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए समय–समय पर आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे।

चतुर्थ अध्याय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निर्मित शैक्षिक व **कल्याणकारी योजनाएँ** जैसे–**1. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम, 2. पूर्व दशमोत्तर**

छात्रवृत्ति योजना, 3. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, 4. अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास योजना, 5. साक्षर भारत कार्यक्रम, 6. साबित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना, 7. साबित्री बाई फूले बालिका कल्याण योजना, 8. कन्या विद्या धन योजना, 9. डॉ. अम्बेडकर शैक्षिक पारितोषिक योजना, 10. अब्बल नम्बर पुरस्कार योजना आदि **कल्याणकारी योजनाएँ** जैसे– 1. **उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, 2. उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड, 3. अनुसूचित जाति व जनजाति की महिला एवं सलाहकार बोर्ड, 4. महिला समृद्धि योजना, 5. बालिका समृद्धि योजना, 6. स्वास्थ्य सखी योजना, 7. कृषक वृद्धावस्था पेन्शन योजना,** आदि के विषय में विस्तार से चर्चा की गयी है। इन योजनाओं में दलित महिलाएँ अपनी कितनी सहभागिता दिखा रही हैं इस दृश्य को भी दर्शाया गया है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि फीस रेग्युलेटरी मैकेनिज्म बनाया जाये जिससे कि प्राइवेट स्कूलों में हो रही मनमानी व फीस वसूली पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ–साथ यू.पी. सरकार, बजट का कम से कम 20 फीसदी शिक्षा पर खर्च कर सके। जिससे कि– महिलाएँ स्वतन्त्र रूप से सोचने व निर्भय होकर अभिव्यक्ति करने योग्य हो जायें, महिलाएँ निर्णय लेने व परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होकर प्रयत्नशील हो जायें, महिलाएँ सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में स्वतन्त्र रूप से भागीदारी निभाएँ, महिलाएँ आर्थिक स्वावलम्बन के लिय भागीदारी निभाएँ।

पाँचवा अध्याय शोध–प्रबंध का बड़ा महत्त्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसके अन्तर्गत हमने बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय एवं लखनऊ विश्वविद्यालय में नामांकित दलित छात्राओं की स्थिति के विषय में जानने के लिए दोनों विश्वविद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि एक ही शहर में स्थापित दोनों विश्वविद्यालयों में नामांकित दलित छात्राओं की सामाजिक स्थिति जैसे– जाति, सामाजिक स्तर, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि को भेदभाव का आधार बनाया गया है। बी.बीए.यु. की कुछ छात्राओं का मानना है कि उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव न केवल मित्रों के द्वारा वरन् शिक्षक, हॉस्टल वार्डन, कार्यालय में कार्य करने वाले अधिकारी व क्लर्क आदि के द्वारा शोषण किया जाता है। सामाजिक स्तर पर भेदभाव का अध्ययन करें तो उनकी जल्दी शादी होना, उनका निम्न वर्ग का होना, उनके द्वारा साधारण वेषभूषा धारण करना आदि को भी भेदभाव का आधार

बनाया गया है। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अधिकतर छात्राएँ दूर–दराज क्षेत्रों से आती हैं ऐसी छात्राओं का अधिक शोषण किया जाता है। जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में इस तरह का भेदभाव कम नजर आता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण बी.बी.ए.यु. में निम्न वर्ग की छात्राएँ आर्थिक स्थिति से मजबूत सामान्य वर्ग के और न ही समान वर्ग के विद्यार्थियों से मित्रता बढ़ाती है।

दोनों विश्वविद्यालयों की छात्राओं की शैक्षणिक स्थिति में भी काफी अन्तर दिखाई पड़ता है। शैक्षणिक स्थिति को लेकर भी बी.बी.ए.यु. की छात्राओं के साथ कक्षा में मित्रों द्वारा, परीक्षा परिणाम बताते समय शिक्षकों के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय की अपेक्षा अधिक भेदभाव व शोषण किया जाता है। इस विश्वविद्यालय में दलित छात्राओं का कहना है कि उन्हें कम अंक दिये जाते हैं या फेल कर दिया जाता है। दोनों विश्वविद्यालयों में नामांकित दलित छात्राओं ने अपने–अपने विश्वविद्यालयों की कमियों व गुणों को उजागर किया गया है। इन गुणों व कमियों को देखते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला कि बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की छात्राओं द्वारा अपने विश्वविद्यालय के विषय में अधिकतर नकारात्मक विचारों को प्रकट किया गया है जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्राओं ने अपने विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की छात्राओं की तुलना में सकारात्मक विचार प्रस्तुत किये हैं।

चुनौती के रूप में यह समस्त मुद्दे हमारे समक्ष आ खड़े हुए हैं ऐसा माना जाता है कि बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय केवल दलित वर्ग के छात्र–छात्राओं को शिक्षा के उच्च स्तर पर ले जाने का कार्य करेगा परन्तु वह इस वर्ग को शिक्षा के उच्च स्तर पर ले जाने में पूर्णतः सफल नहीं हुआ है। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में दलित छात्र–छात्राओं की जो संख्या होनी चाहिए थी वह नहीं है। इसकी असफलता का एक कारण यह भी है कि इस विश्वविद्यालय में दलित वर्ग के शिक्षक–शिक्षिका जितने होने चाहिए थे वे नहीं हैं जो कि दलित छात्र–छात्राओं के कल्याण करने की दिशा में इसे आगे बढ़ा सकें।

अन्तिम अध्याय में शोध–प्रबंध के सारांश को प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत शोध–परिणाम एवं समस्या–समाधान हेतु समुचित सुझावों को प्रस्तुत किया गया है **जिन में से कुछ मुख्य सुझाव निम्नलिखित है**–

दोनों विश्वविद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात व उनकी कमियों को देखते हुए कुछ मुख्य बिन्दु दिये गये है। इन दोनों विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति व जनजाति के वे विद्यार्थी जिन्होंने जे. आर. एफ. की परीक्षा पास कर पी–एच. डी. कोर्स में प्रवेश लिया है, उनके खाते में फैलोशिप की धनराशि बिना किसी विलम्ब के मासिक रूप से डाली जाये, जिससे कि गरीब परिवार व दूर से आकर पढ़ाई करने वाले छात्र–छात्राओं को समस्याओं का सामना न करना पड़े। ऐसी दलित छात्रा जो पी–एच.डी. कोर्स में प्रवेश लेती है, परन्तु किसी भी प्रकार का अनुदान (फैलोशिप) उन्हें प्राप्त नहीं होता है और वे छात्रायें घर से शिक्षण संस्था तक किसी वाहन के द्वारा रूपये खर्च करके आती है, ऐसी छात्राओं के लिये घर से शिक्षण संस्था तक वाहन की तथा किसी न किसी तरह के छोटे अनुदान (फैलोशिप) की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

विश्वविद्यालय में उपकुलपति को इस बात का भी पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए, कि वह प्रत्येक विभाग के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों को समय–समय पर धन उपलब्ध कराते रहें तभी वह छात्र–छात्राओं को शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करा सकते है अन्यथा वह भी उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेगें और इससे छात्र–शिक्षक सम्बन्धों का भी टकराव होगा। समय–समय पर विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया जाये और किसी भी विभाग में विशेष रूप से वे विभाग जिसमें प्रयोगात्मक कार्य किया जाता है, सामग्री के अपर्याप्त मात्रा में पाये जाने पर तुरन्त उनको उपलब्ध कराया जाये। साथ ही विकलांग छात्र–छात्राओं के प्रवेश लेने के पश्चात् उनके लिए विशेष रूप से वाहन की सुविधायें उपलब्ध करायें।

विश्वविद्यालयों के सारे प्रवेश द्वारों व हॉस्टल के आस–पास सी.सी.टी.वी. कैमरें लगवाये जाये जिससे कि समस्त घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती रहे व समय–समय पर कैमरों का निरीक्षण भी किया जाये जिससे कि ये पता चल जाये कि वे काम कर रहे है या नहीं। हॉस्टल के चारों ओर सुरक्षा के लिए लोहे की जाली लगवाई जाये तथा सरकारी मैस की व्यवस्था की जाये क्योंकि छात्र–छात्रायें प्राइवेट मैस का खर्चा नहीं उठा सकती है, साथ ही मैस में मिलने वाले खाने की वैरायटी व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। हॉस्टल की वार्डन को अन्य कोई पद प्रदान न किया जाये क्योंकि इससे वह वार्डन के उत्तरदायित्व को उचित प्रकार से नहीं निभा

पाती है, इस पद के अनुसार वार्डन को पूरी आय प्रदान कर उसे 24 घण्टे के लिये हॉस्टल में रखा जाये तथा उनके रहने व खाने–पीने का पूरा प्रबन्ध किया जाये व वार्डन द्वारा किये जाने वाले कार्यों से छात्राओं को कितनी सन्तुष्टी है, इसके लिए सप्ताह में नहीं तो कम से कम महीने में एक बार तो उच्च अधिकारियों द्वारा वार्डन के कार्यों का निरीक्षण किया जाये, कमी आने पर दूसरी वार्डन रखने का बन्दोबस्त किया जाये।

छात्राओं के घर से आने वाले सदस्य के रूकने के लिए हॉस्टल के बाहर एक रूम, टॉयलेट व वॉशरूम की पर्याप्त व्यवस्था की जाये जिससे कि वे रात को वहाँ रूक सकें और उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। पी–एच.डी. कोर्स में प्रवेश लेने के पश्चात् जो छात्रायें हॉस्टल में रहते हुए (गेस्ट के रूप में) एच.आर.ए. का फायदा उठाती है ऐसी छात्राओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये व गेस्ट के रूप में रहने की कम से कम अवधि निर्धारित की जाये। वे छात्रायें जो विश्वविद्यालय से बाहर किराये पर नहीं रह सकती है, उनको विश्वविद्यालय में हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाये। विश्वविद्यालय स्तर पर कम से कम पी–एच. डी. छात्राओं को हॉस्टल में ग्राउण्ड फ्लोर पर व सिंगल रूम उपलब्ध कराया जाये जिससे कि वे सुविधानुसार अपना शोध कार्य सम्पन्न कर सकें।

इन दोनों विश्वविद्यालयों में ऐसे विभागों का निर्माण किया जाये जो इन दलित छात्राओं को समस्त सुविधायें जैसे–दाखिला नीति, एडमिशन फॉर्म, छात्रवृत्ति योजना, शिकायतों के दर्ज कराने आदि की समस्त जानकारी एक ही विभाग से प्राप्त कराने में सहयोग कर सके तथा उसमें अधिकारी निम्न वर्ग के ही रखे जाये जिससे कि वे इनको सुविधाओं का पूरा लाभ दे सके। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा एक ऐसा टोल–फ्री नम्बर लागू किया जाये, जिसमें दलित छात्राओं को घर बैठे विभिन्न क्षेत्रों जैसे–शिक्षा, रोजगार, खेल, सरकारी योजनायें व जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान की जानकारी प्राप्त हो सके। उच्च शिक्षा के दौरान जिन प्रोफेसरों द्वारा दलित छात्राओं को निरूत्साहित किया जाता है उनके खिलाफ याचिका दायर करने के लिए सरकार द्वारा एक ऐसी सुझाव पेटिका राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की जाये जिस पर बिना विलम्ब किये शिकायतों पर कार्यवाही की जाये।

केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है कि वह देश के सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों में समानता लाने का प्रयास करने के साथ–साथ उच्च शिक्षा स्तर को बनाये रखने में भी योगदान दे। अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को केवल अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं तक ही सीमित किया जाये। केन्द्रीय विश्वविद्यालय से पी–एच. डी. करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को केन्द्र सरकार द्वारा किसी न किसी महाविद्यालय में व्याख्याता पद पर नियुक्ति दी जाये। अनुसन्धान कार्य को इतना प्रोत्साहित किया जाये जिससे कि तकनीकी क्षेत्र और विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था में उच्च स्तर की योग्यता रखने वाली सभी दलित छात्राओं की संख्या को बढ़ाया जा सके तथा इस बात का पूर्णतः ध्यान रखा जाये कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाये और सभी को समान रूप से शिक्षा की उचित सुविधाएँ प्रदान की जायें। जब तक विश्वविद्यालय में समान नियम बनाकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, तब तक समान शिक्षा देने की बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते है।

अनुसूचित जाति व जनजाति की छात्राओं के लिये केन्द्रीय स्तर पर अलग से एक विश्वविद्यालय बनाया जाये और इस विश्वविद्यालय में उसी वर्ग के शिक्षकों व शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की जायें। पी–एच. डी. कोर्स के दौरान ही समस्त छात्र–छात्राओं को व्याख्याता पद पर पढ़ाने का अवसर दिया जाये और इस कार्य के लिये उन्हें अनुभव प्रमाण–पत्र भी दिया जाये जिससे कि पी–एच.डी. जैसी– डिग्री लेने वाले किसी भी छात्र–छात्राओं को भविष्य में यह न सुनना पड़े कि आप फ्रेशर हैं और उन्हें सरल तरीके से विभिन्न महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का अवसर दिया जाये।

विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक विभाग के पास में एक फोटोकॉपी शॉप, स्टेशनरी शॉप व छोटी कैण्टीन की व्यवस्था की जाये, क्योंकि अगर ये सब दूर होंगे तो छात्राओं का समय बहुत ज्यादा खराब होगा और वह पढ़ाई पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पायेगें। दलित छात्राओं के लिए प्रत्येक माह में एक सेमीनार (संगोष्ठी) का आयोजन किया जाये। उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाये जिससे कि वे उनका लाभ उठा सकें। दलित छात्राओं को पी–एच.

डी. के दौरान अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के गाइड विशेष रूप से महिला गाइड (शोध निर्देशक) ही दिये जाये जिससे कि उन्हें कम से कम शोषण या समस्याओं का सामना करना पड़े और वे अपना कैरियर बना सके। दलित छात्राओं द्वारा पी–एच. डी. कोर्स के दौरान अपने शोध निर्देशक द्वारा प्रताड़ित होने पर उनके द्वारा की गई शिकायत पर शोध निर्देशक के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

किसी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम (कोर्स) में उच्च शिक्षा प्राप्त दलित छात्राओं की संख्या अधिक पायी जाती है तो उन्हें उनके बढ़ते हुए वरीयता क्रम या अंक या रैंक के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाये। दलित छात्राओं द्वारा अगर किसी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम (कोर्स) में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है और वह विदेशी शिक्षा लेने की इच्छुक है तो सरकार द्वारा उसे अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान की जाये और उसे समय–समय पर अच्छे कार्य करने व देश के लिए अपना योगदान देने पर विशेष प्रकार की छात्रवृत्ति (फैलोशिप) देकर प्रोत्साहित किया जाये। सामान्य वर्ग की छात्राओं द्वारा उच्च शिक्षा स्तर तक पहुँचने व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के समस्त कारणों, सुविधाओं को जानते हुए सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार की सुविधायें व कारणों को निम्न वर्ग की छात्राओं को भी उपलब्ध कराये जिससे कि वे भी सामान्य वर्ग की महिलाओं की भाँति उच्च शिक्षा को सरलता से प्राप्त कर सके।

दलित परिवार में जन्म लेने वाली लड़की के नाम से सरकार द्वारा उसके जन्म के समय उसकी उच्च शिक्षा के नाम से खाता खुलवाकर उसमें 3–6 लाख की धनराशि प्रदान की जाये और यह धनराशि उसके द्वारा तभी उपयोग में लाई जाये जब वह विशिष्ट व उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है ऐसी योजनायें ही दलित माता–पिताओं द्वारा उनकी पुत्रियों की प्राथमिक शिक्षा व उनके उचित लालन–पालन करने में सहयोग प्रदान करेंगी। ऐसे माता–पिताओं द्वारा जो अपने पुत्र–पुत्रियों को उच्च शिक्षा प्रदान करते समय भेदभाव करते है तथा पुत्रों को तो उच्च शिक्षा प्रदान करवाते है परन्तु दहेज के भय के कारण वे पुत्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करने देते, उनके खिलाफ सरकार द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण कराया जाना चाहिए जिसके भय से वे अपनी पुत्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करवा सकें तथा ऐसे कानूनों का सख्ताई से पालन किया जाना चाहिये। दलित वर्ग की महिलाओं हेतु चलाई जा रही विभिन्न

योजनाओं की जानकारी को उन तक पहुँचाने के लिए इनका उच्च अथवा बड़े स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाये। राजस्थान राज्य की भाँति यू.पी. सरकार द्वारा भी दलित महिलाओं के लिए नौकरियों में विशेष आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया जाये। उच्च शिक्षा प्राप्त दलित छात्राओं को सरकार द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किये जाये और रोजगार प्रदान करने के लिए उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाये जिससे कि उनके मनोबल में वृद्धि हो सके।

इस प्रकार समस्त दलित छात्राओं के विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के पश्चात् उन्हें ये निम्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जिस विश्वविद्यालय को उनके लिए बनाया गया है कम से कम वहाँ तो वे इस प्रकार की समस्याओं का अधिक सामना न करें। इन छात्राओं को यदि इन सारी सुविधाओं के साथ–साथ शिक्षकों व अधिकारियों का परस्पर सहयोग मिले तो ये भी शिक्षा बीच में ही छोड़ने के बजाये उच्च वर्ग की छात्राओं की भाँति उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों पर आसीन होकर देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकती हैं।